न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 02/2022

राम निवास शर्मा पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण उम्र 34 वर्ष निवासी ओम कॉलोनी, घड़साना हाल वार्ड नं 16, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **रूकमणी पत्नी स्व. भंवर लाल** जाति ब्राह्मण निवासी ओम कॉलोनी, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. **श्रवण पुत्र स्व. भंवरलाल** जाति ब्राह्मण निवासी ओम कॉलोनी, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. **थानाधिकारी, पुलिस थाना घड़साना** जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामनिवास पुत्र भवंरलाल ने यह अपील भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के आदेश दिनांक 02.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलार्थी रामनिवास इस न्यायायल में कभी उपस्थित नही आया। अपीलार्थी ने यह अपील जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत की है जबकि अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2.007 की धारा 16(1) के तहत माता पिता द्वारा ही अपनी संतान के विरूद्ध ही इस अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है **न कि संतान द्वारा इस अधिनियम के तहत संबंधित पक्षकारान को सुने जाने का प्रावधान है न कि उनके अभिभाषकगण को।** चूंकि धारा 17 में पक्षकार का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा करना वर्जित है। इसलिए इस मामले में अपीलार्थी को स्वयं संतान की हैसियत से इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील की सुनवाई का इस अधिकरण को क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं? इस बिन्दु पर निर्णय हेतु पत्रावली विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अपीलार्थी रामनिवास को बार बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये।

चूंकि अपीलार्थी रामनिवास ने स्वयं यह अपील प्रस्तुत की है और सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अपनी अपील पर कोई कार्रवाई नही चाहता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी रामनिवास की अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:07 IST
Reason: SelfAttested